COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

449

/

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक      /२०१२ पुनरीक्षण R-356-II/2012

श्री डी॰ एस॰ चौहान, अधि॰ द्वारा दिनांक 14.2.12 को प्रस्तुत/ 14.2.12 ASO

दुर्जनसिंह बुन्देला पुत्रश्री मजबूतसिंह बुन्देला, आयु ६५ वर्ष व्यवसाय खेती, निवासी ग्राम चुरवारी, तेहसील नौगांव, जिला छतरपुर म०प्र०      ---आवेदक

वनाम

१) लाडकुंवर पुत्री चंदनसिंह,
२) कुंजसिंह पुत्र चतुरसिंह,
३) पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र वीरसिंह,
४) गजराजसिंह पुत्र गुमानसिंह,
५) कोमलसिंह पुत्र गुमानसिंह,
६) राघवेन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह,
७) गन्धर्वसिंह पुत्र नरपतसिंह,
८) गेंदाबाई पत्नि रायसिंह,
९) नत्थू खां पुत्र हुसैन खां,

निवासीगण ग्राम चिरवारी, तेहसील नौगांव, जिला छतरपुर म०प्र०      ---अनावेदकगण

डी॰एस॰ चौहान एडवोकेट 14/2/12

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता ( संशोधन अधिनियम २०११) विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब तेहसीलदार नौगांव, जिला छतरपुर जो कि प्र० क्रं० १५-अ-६/अ/१०-११ में दि० ३०-१२-११ को पारित किया गया ।

---

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है -

संक्षिप्त तथ्य:

(अ) प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम चुरवारी,

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** –निग.-356-दो/2012 जिला-छतरपुर

दुर्जन सिंह वुन्देला विरूद्ध लाडकुंवर आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।<br>3. यह निगरानी नायब तहसीलदार नौगांव, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-6-अ/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30-12-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>5. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । | |

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जांये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19
सदस्य